मान्यवर

कांशीराम

बहुजन समाज के प्रणेता

प्रो. डॉ. विमलकीर्ति

बहुजन समाज के प्रणेता

जब हम अपने देश के प्राचीनकाल, मध्यकाल और वर्तमान काल के बारे में, सामाजिक दृष्टि से विचार करते हैं, समाज परिवर्तन की दृष्टि से विचार करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारे देश में जैसे विषमतावादी संस्कृति की, मानवता विरोधी संस्कृति की, दैव-दैववादी संस्कृति की एक परम्परा है। उसी प्रकार हमारे देश में समतावादी, सामाजिक न्यायवादी, मानवतावादी, अनश्वरवादी, अनात्मवादी, जनहितवादी, बहुजन कल्याण-हित-सुखवादी संस्कृति की भी एक परम्परा रही है और आज भी है। इस देश का दलित, शोषित, बहुजन समाज कभी भी संस्कृतिहीन, परम्परा रहित,

आधारहीन नहीं रहा है। वर्तमानकालीन भारत में भी सामाजिक, समतावादी, सामाजिक न्यायवादी, मानवतावादी, अनात्मवादी, अनीश्वरवादी, सामाजिक परिवर्तनवादी, बहुजनवादी विचारों की एक संस्कृति बनी है, एक परम्परा बनी है। वर्तमान समय में जोतिबा फुले, शाहू छत्रपति, डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी, गाडगे, बाबा आदि महापुरुषों के विचारों से, कार्यों से जो समतावादी संस्कृति बनी है, परम्परा बनी है, विचारधारा बनी है उसको एक सशक्त वाहक के रूप में, उन विचारों को जन-जन तक पहुँचाने वाले जननायक के रूप में मा. कांशीराम जी का आज बहुत बड़ा स्थान है, सम्मान है। कांशीराम जी ने सम्पूर्ण भारत में फुले-शाहू और आम्बेडकर की विचारधारा पर आधारित एक 'बहुजन समाज' निर्माण करने का जो प्रयास किया है, वह प्रयास और उद्देश्य निश्चित रूप से आज भी प्रेरणादायी है।

मा. कांशीराम जी के सार्वजनिक और सामाजिक जीवन का जन्म महाराष्ट्र में हुआ लेकिन उनका वास्तविक जन्म पंजाब में जिला रोपड़ के 'खवासपुर' नामक गाँव में हुआ। उनका जन्म एक चमार (सिक्ख) परिवार में 15 मार्च 1934 को हुआ और उनका परिनिर्वाण 9 अक्टूबर 2006 को दिल्ली में हुआ। कांशीराम जी एक दलित सिक्ख परिवार में जरूर पैदा हुए लेकिन उनके सम्पूर्ण जीवन, कार्य, उनकी विचारधारा को पढ़ने, उनको नजदीक से देखने के बाद मैंने स्वयं यह अनुभव किया है कि वे सिक्ख धर्म के संस्कारों से काफी दूर थे। वे सिक्ख धर्म को भारत में सामाजिक परिवर्तन की एक विचारधारा जरूर मानते थे लेकिन वर्तमान सिक्ख धर्म में जो सामन्ती संस्कारों का प्रभाव है सिक्ख सामन्तों का, सिक्ख धनवानों का, जो दलित विरोधी बहुजन विरोधी रूप है उसको वे बिलकुल पसन्द नहीं करते थे।

कांशीराम प्रारम्भ से ही दलितों के सवालों पर, बहुजनों के सवालों पर बहुत ही संवेदनशील थे। यह बात उनके सम्पूर्ण जीवन के क्रिया-कलापों से स्पष्ट होती है। जब कांशीराम जी पंजाब में एक दलित छात्र के रूप में थे तब उन्होंने यह अनुभव किया था कि पंजाब और पंजाब से लगे हुए प्रान्तों में दलितों की, बहुजनों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वहाँ जातिवाद, अछूतपन और सामन्ती संस्कारों की जड़ें उच्चवर्णीय लोगों में काफी गहरी थीं। पंजाब में सम्पन्नता और आधुनिकता जरूर आ चुकी थी लेकिन वहाँ जातिवाद, छुआछूत जैसे सामन्ती संस्कार भी प्रभावी थे। इस बात को कांशीराम जी ने अच्छी तरह अनुभव किया था। आज भी पंजाब जातिवाद, छुआछूत और सामन्ती संस्कारों की समस्या से मुक्त नहीं है।

आजादी से पहले पंजाब भी दलित मुक्ति आन्दोलन का, डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर के

आन्दोलन का एक बड़ा केन्द्र रहा है। डॉ. आम्बेडकर के आन्दोलन में पंजाबी दलितों का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है और आज भी है। मा. कांशीराम जी पंजाबी दलित सिक्ख परिवार में जरूर पैदा हुए थे लेकिन उन पर बहुत पहले से ही डॉ. आम्बेडकर की विचारधारा का प्रभाव था और यह प्रभाव उन पर उनके जीवन के अन्तिम पल तक रहा। किस समय किस व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का बदलाव आ जाये कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। हर व्यक्ति के जीवन में अनगिनत घटनाएँ हैं लेकिन सभी घटनाएँ मनुष्य को प्रभावित करती हैं, ऐसी बात नहीं है। आज के वैज्ञानिक युग में इस सिद्धान्त की कोई मान्यता नहीं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित ही होता है। हर व्यक्ति अपने कार्यों से, विचारों से छोटा या बड़ा होता है। वास्तव में कांशीराम जी अपने कार्यों से महान हुए, कोई पूर्वनिर्धारित बात नहीं थी। उसी प्रकार उनके साथ जन्म से भी कोई महानता जुड़ी हुई नहीं थी लेकिन बचपन से ही, छात्र जीवन से ही उन पर डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारधारा के संस्कार थे और उनके परिवार से उनको कठोर मेहनत और लगन से काम करने की शिक्षा मिली थी और इसी विरासत को साथ लेकर वे अपने सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ते रहे।

माननीय कांशीराम जी सरकारी नौकरी के बहाने पूना (महाराष्ट्र) आये। वहां वे 'किर्की एक्सप्लोसिव रिसर्च एण्ड डेवलपमेण्ट लेबोरेट्री, (ई. आर. डी. एल.) में अनुसन्धान सहायक के पद पर नियुक्त हुए। पूना की डिफेन्स कॉलोनी में रहते हुए कांशीराम जी का वहाँ के कई आम्बेडकरवादियों से सम्पर्क बना। पूना पहले से ही जोतिबा फुले के कार्यों, आम्बेडकरवादी विचारों का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है। पूना में रहते हुए कांशीराम जी पर प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप में फुले-शाहू और आम्बेडकर की विचारधारा के संस्कार प्रस्फुटित होते रहे। कांशीराम जी पूना के जिस सरकारी संस्थान ई. आर.डी.एल, में सेवारत थे, वह संस्थान भी जातिवाद, छुआछूत की बीमारी से, सामन्ती संस्कारों से ग्रस्त था। केवल पूना का यही स्थान ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में जितने भी सरकारी, गैर-सरकारी, सार्वजनिक

संस्थान, कार्यालय थे वे सभी जातिवादी, सामन्ती मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के अड्डे थे। भारत में जातिवाद, छुआछूत, सामन्ती संस्कार केवल गाँव-देहातों में ही नहीं हैं बल्कि सभी सरकारी संस्थाओं, कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों में भी हैं जिसका दुष्परिणाम ज्यादातर दलित कर्मचारियों को भोगना पड़ता है और उसमें भी विशेष रूप से उन दलित कर्मचारियों को जो आम्बेडकरवादी हैं और अपने आपको हिन्दू नहीं मानते हैं। सन् 1970 के दशक की बात है। कांशीराम जी ने पूना के ई.आर.डी.एल. में बुद्ध जयन्ती और आम्बेडकर जयन्ती पर वहाँ के सवर्ण हिन्दू अधिकारियों द्वारा अनगिनत रुकावटें पैदा करने की बात को अच्छी तरह अनुभव किया। ई.आर.डी.एल. के सवर्ण अधिकारियों के इस प्रकार के रवैये से कांशीराम जी बेहद अस्वस्थ हो गये और इस सवाल पर उनकी अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ तू-तू, मैं-मैं भी हो गई थी। पूना के ई.आर.डी.एल. संस्थान में घटी इस घटना से कांशीराम जी के जीवन में एक नया मोड़ आया और उनकी सोच भी बदल गई। वे डॉ. आम्बेडकर के, महात्मा फुले के साहित्य को गम्भीरता से पढ़ने लगे। उन्होंने पूना में ही अपने संस्थान में सेवारत आम्बेडकरवादी सहयोगियों के साथ मिल कर आम्बेडकरवादियों का एक जबर्दस्त संगठन खड़ा करने का संकल्प किया और हिन्दू जातिवाद से पीड़ित सभी समाज के कर्मचारियों को संगठित करने के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने का संकल्प किया। उन्होंने 'बामसेफ' नाम से एक कर्मचारी संगठन की स्थापना की। सन् 1964 में ई.आर.डी.एल. की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। एक कठोर प्रतिज्ञा करके उन्होंने अपने सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में कदम रखा।

मां. कांशीराम जी ने बामसेफ के माध्यम से सुनियोजित ढंग से बड़े-बड़े सम्मेलनों का आयोजन किया। उन्होंने बामसेफ के माध्यम से कई समाचार-पत्रों का, पत्रिकाओं का सम्पादन और प्रकाशन भी शुरू किया। हिन्दी में 'बहुजन नायक', 'बहुजन संगठक' जैसे समाचार-पत्र, 'बहुजन वॉयर्स' जैसी अंग्रेजी पत्रिका का प्रकाशन करके हिन्दू सामन्ती और सवर्ण मानसिकता को करारा जवाब देने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए आर्थिक क्षेत्र में सहकारिता की भावना को बढ़ाने का भी प्रयास किया। उन्होंने बामसेफ के बाद 'डी-एस-4, नाम का एक प्रत्यक्ष कृतिवाला दलित युवाओं का संगठन भी बनाया। उनके द्वारा बनाये गये ये सभी संगठन एक तरह से गैर-राजनीतिक यानी पूरी तरह से सामाजिक संगठन थे। उनके इन संगठनों के घोषणावाक्य थे 'पढ़ो, संगठित रहो और संघर्ष करो' और उनके ये संगठन पूरी तरह से समाज सेवा को समर्पित थे। उन्होंने इन संगठनों के द्वारा पूरे देश में बड़ें पैमाने पर जगह-जगह सभाएँ, सम्मेलन, बैठकें, आन्दोलन, प्रदर्शन, नुक्कड़-नाटक, रंगारंग कार्यक्रम, सायंकाल मार्च आदि के द्वारा जन-जागृति करने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने नागपुर

(महाराष्ट्र) में बुद्धिस्ट रिसर्च सेण्टर की भी स्थापना की थी। इन तमाम सामाजिक संगठनों के माध्यम से डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर, महात्मा जोतिबा फुले, शाहू छत्रपति के विचार, जन-जन तक फैलाने का महान कार्य किया। इसमें कोई सन्देह नहीं है।

मा. कांशीराम जी डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर के विचारों के आधार पर भारतीय राजनीति में बहुजन समाज को एक राजनैतिक शक्ति के रूप में, एक राजनैतिक सत्ताधारी शक्ति के रूप में शक्तिशाली बनाना चाहते थे। जैसा कि डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर का यह भी मानना था कि राजनैतिक चाबी से ही सभी समस्याओं के ताले खुल जाते हैं। इसलिए भारत में दलित-बहुजन समाज एक राजनैतिक शक्ति के रूप में आगे आये और देश की राजनैतिक सत्ता अपने हाथों में ले। यही कांशीराम के जीवन का अन्तिम लक्ष्य बना। इसके लिए उन्होंने 'बहुजन समाज पार्टी' (बी.एस.पी.) की स्थापना डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर के जन्मदिवस पर 14 अप्रैल 1984 को दिल्ली में की। मा. कांशीराम जी के नेतृत्व में भारतीय राजनीति में बी.एस.पी. एक राजनैतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आयी। आज भी भारतीय राजनीति में बी.एस.पी. का अपना महत्त्व है।

वर्तमान भारत की राजनीति में जो एक नया अध्याय जुड़ गया है उसमें कांशीराम जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। कांशीराम जी के कार्य का स्वरूप पूरे राष्ट्रीय स्तर पर था। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ देश के दूर-दराजों में, यहाँ तक कि हिमालय की घाटियों में बसे लोगों के बीच भी डॉ. आम्बेडकर के मिशन को पहुँचाने का

ऐतिहासिक कार्य किया। उसी प्रकार उन्होंने देश के मठाधिशों को देश के दलितों के सवालों पर बोलने के लिए मजबूर किया। उन्होंने देश के राजनैतिक समीकरणों को भी बदलने का काम किया।

कांशीराम जी ने बामसेफ, डी.एस-4 और बी.एस.पी. के माध्यम से सम्पूर्ण भारत की यात्रा कई बार की। उन्होंने अपने जीवन में कभी, कहीं अपना और अपने लिए कोई घर नहीं बनाया। वे आजीवन अविवाहित रहे और माता-पिता, भाई-बहनों और अपने सगे-सम्बन्धियों से हमेशा दूर रहे। क्योंकि उन्हे अपने सार्वजनिक जीवन के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता थी। हम सभी जानते हैं कि पारिवारिक जीवन बड़ा स्वार्थी होता है। इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं। वर्तमान भारत की राजनीति, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में कांशीराम जी ने वास्तविक भारत को जितने करीब से जाना, और उन्होंने सम्पूर्ण भारत की जितनी यात्राएँ कीं, जनसामान्य लोगों से जितना सम्पर्क बनाने का काम किया, उतना शायद ही किसी ने किया होगा। कहते हैं कि कांशीराम जी स्वयं के लिए कपड़ा भी नहीं खरीदते थे। उनकी पूरी देखभाल, उनकी सभी जरूरतों की चिन्ता उनके कार्यकर्ता ही करते थे। उनके स्वभाव की यह भी एक विशेषता थी कि वे अपने आपको कार्यकर्ताओं से न दूर रखते थे, न अपने आपको उनसे अलग मानते थे। वास्तव में उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत ही एक कार्यकर्ता के रूप में हुई, नेता के रूप में नहीं।

कांशीराम जी ने अपने जीवन में राजनीति को ही अपना अन्तिम लक्ष्य कभी नहीं माना। उन्होंने सामाजिक-सार्वजनिक जीवन से अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत करते हुए सन् 1984 से भारतीय राजनीति में पदार्पण किया और सन 2006 तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। वे बाईस साल तक भारतीय राजनीति में रहे और उन्होंने वर्तमान भारतीय राजनीति में अपनी एक पहचान भी बनाई। वे अपने जीवन के अन्तिम पल तक भारत के दलितों के, बहुजनों के सामाजिक नेता के रूप में ही रहे, राजनेता के रूप में नहीं। डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर के मिशन में कांशीराम जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई सन्देह नहीं। उन्होंने वास्तव में डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर के मिशन को जन-जन तक पहुँचाने का काम किया। आज भी उनके व्याख्यान दलितों के लिए, बहुजनों के लिए मुक्ति का दस्तावेज हैं। यदि उनके व्याख्यानों को विषय और किताब के रूप में इकट्ठा किया जाये तो उनकी कई किताबें हो सकती हैं। उनके सारे व्याख्यान दलित और बहुजन समाज की धरोहर हैं और उसको एकत्रित करने और सुरक्षित रखने का प्रयास होना चाहिए।

बहुजन प्रणेता का लक्ष्य

13 व 14 अक्टूबर 2002 नागपुर में मान्यवर कांशीराम जी के उद्‌गार

आज से 100 साल पहले कोल्हापुर में 26 जुलाई 1902 में छत्रपति शाहू जी महाराज का जमाना कुछ ऐसा जमाना था कि बहुजन समाज की आबादी 100 में से 85% होने के बावजूद उन्हें नौकरी के लायक नहीं समझा जाता था। इस बात को सबसे पहले महामना ज्योतिबा फुले ने समझा कि इतने ज्यादा लोग (100 में से 85% लोग) जो ब्राह्मणवाद के चलते नौकरी करने लायक नहीं थे।

1847 से महामना ज्योतिबा फुले ने उनको इस लायक बनाने की शुरुआत की, प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध किया, 1801 तक, जब तक वो जिन्दा रहे, उन्होंने उनको लायक बनाने की कोशिश जारी रखी। उनके पास ज्यादा साधन ना होने के कारण, उन्होंने इन लोगों को लायक बनाने की कोशिश जारी रखी। लायक बनाकर 1902 में उनकी इस बात का एहसास हुआ कि जितनी लायकी उनके छोटे से राज्य का कारोबार चलाने के लिए चाहिए, शूद्र समाज के लोग इस कारोबार को चलाने के लायक बन चुके हैं। इसलिए उन्होंने 26 जुलाई 1902 को आरक्षण की शुरुआत की और अपने छोटे से राज्य को चलाने का प्रबंध किया।

इस तरह से जो पिछड़े गए या पिछड़ गए समाज के लोग थे उनमें लायकी पैदा करके अपने छोटे से राज्य को चलाने का प्रबंध उन्होंने 26 जुलाई 1902 को शुरू किया। ऐसा प्रबंध करने के बाद उन्होंने 1922 तक जब तक वो जिन्दा रहे, अपने छोटे से राज्य का कारोबार सही ढंग से चलाते रहे।

महाराष्ट्र के लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि 1818 तक जब तक महामना ज्योतिबा फुले पैदा नहीं हुए थे, तब तक महाराष्ट्र में पेशवा का राज चलता था। पेशवा के राज के बारे में

1936 में बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने उसका वर्णन किया है। बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने 1936 में जात-पात का बीज नाश करने के लिए "जातिभेद का उच्छेद" ;ददपीपसंजपवद वि बेंजमद्ध नामक जो किताब लिखी, उसकी शुरुआत पेशवा के राज से शुरू की गई है। बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर का मुख्य लक्ष्य था जात-पांत का बीजनाश और मनुवादका लक्ष्य था जात-पात को टिकाये रखना। इसलिए बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने जो 1956 में धर्म परिवर्तन किया, उसमें उन्होंने बहुत सी बातों पर गौर किया। लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य ये रहा कि जिस धर्म (बौद्ध धर्म) को वे अपनाना चाहते हैं, उसमें वर्ण व्यवस्था और जात-पांत नहीं होनी चाहिए इसलिए उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए?बहुत कुछ मेरी गैरहाजिरी में आप लोगों के सामने बातें रखी गयी हैं, लेकिन ये बात किसी ने नहीं रखी होगी कि जिस धर्म को वो अपनाना चाहते थे, उसमें वर्ण-व्यवस्था और जातपांत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मणवादी समाज का मुख्य लक्ष्य था, जातपात का होना जरूरी है। इसलिए इस बात, पर विषय पर तो बाद में आएगी, लेकिन यह बताना मैंने जरूरी समझा कि मनुवादी समाज में, ब्रह्मणवादी समाज में, जातपात को जिन्दा रखना, ये ब्राह्मणवादी समाज का मुख्य लक्ष्य रहा है।

छत्रपति शाहू जी महाराज भी जातपांत से दु:खी थे, इसलिए उन्होंने फारवर्ड और बैकवर्ड का मानक इस तरह से तय किया कि मनुवादी उच्च वर्ग के लोगों को छोड़कर बाकी सब लोगों को पिछड़े वर्ग के लोग करार दिया और उनके लिए 26 जुलाई 1902 में आरक्षण का प्रबंध किया। लेकिन 26 जुलाई 1902 से लेकर 1922 तक, जब तक शाहू जी महाराज जिन्दा रहे, उस वक्त तक पिछड़े वर्ग का क्रायटेरिया और रहा और उसके बाद बदलाव शुरू हुआ। उनकी गैरहाजिरी में देश के हालात बदले, फर्स्ट इंडिया एक्ट जो 1919 में बना था, भारत देश का कारोबार चलाने के लिए, उसकी जगह दूसरा एक्ट बनाने की जरूरत अंग्रेजों को महसूस हुई। अंग्रेजों ने उस वक्त के हालात को ध्यान में रखकर, लंदन में इस देश के नेताओं को बुलाया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नेताओं को और अछूतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर को भी बुलाया गया। 1930-31 और 1932 की राऊंड टेबल कांफ्रेन्स (गोलमेज सम्मेलन) में अछूतों की वकालत बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने की, उस वकालत के आधार पर उन्होंने अंग्रेजों से मनवाया कि वर्णव्यवस्था और जाति के आधार पर सबसे ज्यादा अन्याय अछूतों के साथ हुआ। अंग्रेजों ने इस बात को माना और इसी आधार पर कम्यूनल अवार्ड दिया अवार्ड हासिल करने के बाद बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर महाराष्ट्र पहुंचे। उस दिन

से बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने अछूत समाज के लोगों से कहना शुरू किया कि आप लोग इस देश के असली बाशिन्दे थे, आर्य लोग बाद में आए, उसके बाद मुसलमान आए, मुसलमानों के किस्म-किस्म के गुण आये। उसके बाद यूरोप के लोग आये। और आखिर में अंग्रेजों का राज इस देश में आया। अंग्रेज लोग, यूरोपियन लोग अपने साथ अपने देश की सभ्यता को भी ले आए। उस सभ्यता के कारण देश में राजपाट चलाने के लिए एक नया माहौल पैदा हुआ। छुआछूत की बात उनके समझ से बाहर थी। जो लोग गंदे से गंदा काम करते थे, अंग्रेजों ने उन लोगों को बड़े पैमाने पर खाता बनाने का काम सौंपा, जिन लोगों को रसोई से बाहर तक ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था के चलते हुए जाना मना था उन लोगों को किचन में जगह मिली। इस किस्म का परिवर्तन अंग्रेजों के राज में शुरू हुआ।

आपने आगे कहा कि बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर को भारत में शिक्षा हासिल करने के बाद विदेशों के जाने का मौका मिलां, जहां अंग्रेजों की सभ्यता थी, वह सब जानने का मौका मिला ये सब जानने के बाद बाबा साहेब को लगा कि छुआछूत बाकी देशों में नहीं है। भारत में भी इसका अंत होना चाहिए, ऐसी धारणा लेकर वो भारत वापस आए तो उन्होंने छुआछूत का अंत करने के लिए गंगाराम कांबले (एक अछूत) को एक होटल खोलकर दिया, जहां पर शाहू जी महाराज खुद चाय पीने जाते थे। इस तरह से ऐसे लोगों के लिए आरक्षण के साथ-साथ इस बात को समझना जरूरी है। आरक्षण के अलावा छुआछूत के अंत के बारे में उन लोगों को महामना ज्योतिबा फुले और छत्रपति शाहू जी महाराज के बारे में ज्यादा सराहना करनी जरूरी है। इसलिए इस मूवमेन्ट को बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने छुआछूत का अंत करने के लिए, छुआछूत के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखी। जब उनको संविधान लिखने का मौका मिला तो उस नए संविधान में सवैधानिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए संविधान में, बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने अपनी कलम से लिखा कि कानूनी तौर पर छुआछूत का अंत 26 जनवरी 1950 के बाद से किया जाता है, लेकिन उसके बाद में भी एविडेन्स (सबूत) है, बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर अपने आपको महार-अछूत लिखते रहे। महार जाति में, अछूत जाति में पैदा हुए। उनको इस बात का एहसास था कि कानूनी तौर पर संविधान में मैंने लिख दिया है कि कानून में तो 26 जनवरी 1950 से छुआछूत का अंत हो गया है, लेकिन उसके बाद भी जिंदगी में छुआछूत चलती रहेगी, इसलिए जब तक जिंदगी में इसकी अंत नहीं होता है, तब तक मुझे अपना आंदोलन जारी रखना है।

मान्यवर कांशीराम जी ने आगे कहा कि आज भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिंदगी में आज तक 50 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद कानूनी तौर पर छुआछूत का अंत होने के बाद जिंदगी में आज भी छुआछूत का अंत नहीं हुआ। किसी ना किसी कोने में थोड़े पैमाने पर या बड़े पैमाने पर छुआछूत चल रहा है। इसलिए साथियों, इस छुआछूत का अंत करने के लिए महामना ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर इन तीनों 'महापुरुषों' को बहुत बड़े पैमाने पर छुआछूत के खिलाब संघर्ष करना पड़ा। बल्कि इन तीनों महापुरुषों के सघंर्षों का नतीजा है कि 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान बना, उसमें बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने अपनी कलम से लिखा है कि इस नए संविधान में कानूनी तौर पर छुआछूत का अंत किया जाता है उनको इस बात का अहसास था कि कानूनी तौर पर छुआछूत का अन्त करने के बाद भी जिदंगी में छुआछूत चलता रहेगा, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी का ये आदर्श बनाया कि जब तक छुआछूत चलता रहेगा तब तक उसके खिलाब हमारा संघर्ष भी चलता रहेगा। इसलिए महामना ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज और बाबा साहेब के

के बारे में हमेशा सोचता हूँ कि सबसे बड़ा काम जो इन महापुरुषों ने अपनी जिंदगी में किया वो काम है छूआछूत का अन्त करने फिर उसके बाद अनपढ़ लोगों को पढ़ने-लिखने का मौका, इसलिए खास कर जो लोग हजारों साल तक छुआछूत का शिकार करते रहे उन लोगों को इन तीनों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है, छुआछूत का अन्त पढ़ने-लिखने की शुरुआतख पढ़ने-लिखने के बाद आरक्षण है, आरक्षण भी कई किस्म का है, इसलिए इन तीनों चीजों को ध्यान में रखकर, मैंने अपनी तरफ से और इसलिए इन तीनों चीजों को ध्यान में रखकर, मैंने अपनी तरफ से और अपने समाज के तरफ से, जिनके लिए ये तीनों मुश्किलें बनी थी, उनके लिए मूवमेन्ट चलाया और स्वयं को ऐसे तीनों महापुरुषों का ऋणी महसूस करता हूं।

आपने आगे कहा कि—इसलिए आरक्षण के बारे में, जिसको सौ साल पूरे हो गए हैं, उसके बारे में काफी बात मैं पहले खास कर छत्रपति शाहू जी महाराजा ने जो काम किया और 1922 के बाद जो हालात बदले, उन बदले हुए हालात में, 1919 के फर्स्ट इंडिया एक्ट के बाद 1935 में जो सेकण्ड इंडिया एक्ट लागू हुआ, उस वक्त तक की काफी बातें मैं कल (13 अक्टूबर 2002) कह चुका हूँ, लेकिन आज (14 अक्टूबर 2002) फिर मैं उसी से शुरू करता हूँ क्योंकि

बाबा साहब डॉ. आम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने 1930-31-32 में हम लोगों के लिए जो वकालत की, उस वकालत के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र ;मचंतंजम म्समबजतवंजमद्ध दो वोट ;क्वनइसम टवजमद्ध का अधिकार, हमारे लिए ऐसे अधिकार लेकर बाबा साहब डॉ. आंबेडकर भारत वापस आये, भारत में वापस आकर, जिन लोगों में वो पैदा हुए, उन लोगों के बीच गये और उन लोगों से कहा कि मैंने आप लोगोां के लिए जिन्दगी के हर क्षेत्र में बहुत अधिकर लेकर दिए हैं, लेकिन इस मौके पर जो अधिकार (वोट का अधिकार) मैं लेकर आया हूँ, ये ऐसा अधिकार है, जिसका इस्तेमाल करके इस देश के असली बाशिन्दे फिर से इस देश के मालिक बन सकते हैं।

मान्यवर कांशीराम जी ने कहा कि आज 2002 है, ठीक 70 साल पहले 1932 में बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने अपने लोगों से कहा कि इस वोट के अधिकार का इस्तेमाल करके आप लोग आर्यन लोगों के आने से पहले जो आगे लोगों की हालत (इस देश के मालिक थे) थी, उस हालत को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर की कही इस बात को 70 सात बीत गए हैं, लेकिन आज तक हम लोग उस बात पर अमल नहीं कर पाते हैं ये भी सोचने वाली बात है। समझने वाली बात है कि जो बात बाबा साहेब डॉ आंबेडकर ने 70 साल पहले बताई, उस बात पर हम आज तक अमल नहीं कर पाए हैं खासकर महाराष्ट्र में जब हमारे नेता हमें कहते हैं कि–''ये काम होऊ सकत नाहीं'' और महाराष्ट्र के लोगों ने इस बात को माना कि बाबा साहेब ने 70 साल पहले हमें ऐसी सलाह (शासक बनने की सलाह) दी है, जिसको हम कामयाब नहीं बना सकते। जो काम (शासक बनने का काम) होऊ सकत नाहीं उसी काम को पिछले कई साल से मायावती मुझे कहती रही है कि ये काम होऊ सकत है, उस समय जब मैं भी कोशिश में लगा था लेकिन ओपनली (खुले रूप में) कहने के लिए तैयार नहीं था, कि ये काम होवू सकत है, क्योंकि जब मैं महाराष्ट्र में आया तो आप लोगों से ही मैंने सुना था कि–''बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने कहा कि जाओं अपनी दीवारों पर लिख लो कि हमें इस देश का शासनकर्ता जमात बनना है।'' मैंने देखा कि पंजाब में जहां मैं पैदा हुआ, वहां अगर पक्की दीवारें नहीं थी कच्ची भी नजर नहीं आती थी। ऐसे लोगों को बाबा साहेब ने 70 साल पहले सलाह दी थी कि मैं आपके लिए ऐसा अधिकार (बोट का अधिकार) लाया हूं, जिस अधिकार का इस्तेमाल करके आप देश का शासनकर्ता जमात बन सकते हैं। मैंने सो बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर को देखा नहीं, बाबा साहेब को सुना नहीं, लेकिन जब मैं महाराष्ट्र में

आया तो आप लोगों के नेताओं से ही मैंने ये बात सुनी है और बार-बार सुनी है कि बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने ऐसा कहा थां 1976 तक जब मैंने महाराष्ट्र छोड़ा, तो लोगों को इतना एहसास हो चुका था और महाराष्ट्र के नेताओं ने लोगों को रजामन्द कर लिया था कि जो बाबा साहेब ने 1932 में कहा है वो काम होऊ सकत नाहीं, नेता ही नहीं कहते थे, बल्कि लोग मान भी गए थे।

आपने आगे कहा कि जिस महार शब्द से बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर पीछा छुड़ाना चाहते थे और वो महार समाज के लालची लोगों के सामने बीजेपी की सरकार ने आरक्षण रख दिया, कि अगर आरक्षण चाहिए तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन अपने नाम के साथ लिखा करो कि हम असली महार हैं, नकली बौद्ध हैं, आज हम नकली बौद्ध है, लेकिन असली महार हैं ये हमारा सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र) है कि हम असली महार है। जिस जाति का बीजनाश करना 1936 में बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर चाहते थे, आज प्रमाण पत्र लेकर आप लोग घूम रहे हैं। आज 2002 है और चार साल के अन्दर 2006 आने वाला है। बाबा साहेब के धर्मान्तरण के दिन हम लोग स्वर्ण जयंती मनाने वाले हैं, जब हम लोग गोल्डन जुबली (स्वर्ण जयन्ती) मनाएंगे, उस वक्त तक महारों के पास अपनी महार जाति की सर्टीफिकेट नजर आयेगी, आप लोगों ने मुझे बैठने का बंदोबस्त कर दिया है, इसलिए मुझे पहले ही बताना पड़ गया है कि बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने के बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण था बौद्ध धर्म में जात-पात का बीजनाश है। जात-पात का बीजनाश है। जात-पात के बीजनाश ; ।दपीपसपंजपवद वब्जिमद्ध की बात 1936 में बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने लिखी, लेकिन 2006 में भी आपका सर्टीफिकेट बताएगा कि 1936 में बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर की कही बात को हम लोगों ने 2006 तक भी नहीं माना। ये भी ध्यान से सोचने-समझने वाली बात है, तो इसलिए जात-पांत का बीजनाश और छुआछूत का अंत, पढ़ाई-लिखाई की शुरुआत आरक्षण की शुरुआत ये सारी बातें जो हम लोग जिन्दा है, उन लोगों के लिए इन सारी बातों को सोचना-समझना आज भी जरूरी है।

आपने आगे कहा कि 2006 तक कौन जिन्दा रहेगा?कौन नहीं रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज तो हम जिन्दा हैं, आज तो हम सोचने और समझने लायक हैं कि हमारे साथ क्या-क्या बीता है, साथियों, मैं अपनी बात विस्तार में नहीं, चलते-चलते मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि हम लोग हजारों साल से छुआछूत का शिकार रहे हैं, जाति के आधार पर हमें

अछूत माना गया, हमारे बुजुर्ग को अछूत बन कर जीना पड़ा। इसीलिए हमारे लोगों की मुश्किल थी कि छूआछूत का अंत करने की, जिसके लिए 1866 में महामना फुले ने शुरूआत की 20 वीं सदी के शुरू में छत्रपति शाहू जी महाराज ने इस बात को आगे बढ़ाया और 1848 से हमारी अनपढ़ता का अंत करने के लिए महामना ज्योतिबा फुले से हमारे लिए प्राथमिक स्कूल खोलें, 20वीं सदी के शुरू में छत्रपति शाहू जी महाराज ने हमारे लिए उच्च शिक्षा के लिए बंदोबस्त किया और 26 जुलाई 1902 से आरक्षण की शुरूआत करके हम लोगों को कोल्हापुर के छोटे से राज्य में राजपाट चलाने के लिए प्रबंध शुरू किया, इसलिए इन चार बातों की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना मैं जरूरी समझता हूं, लोग इन मुश्किलों और मुसीबतों के बारे में बोलना चाहते हैं, उन लोगों को चार बातों का ध्यान दिलाना मैं जरूरी समझता हूँ, इसके लिए बाबा साहेब को क्या-क्या उपाय करने पड़े, आज बहुत से लोग हैं, जो महार जाति का प्रमाणपत्र लेकर घूमते हैं, लेकिन अपने आपको महार कहलाना बुरा समझते हैं। बाबा साहेब में ऐसा नहीं समझा, 1920 मैं पहली महार परिषद बुलाकर महारों के लिए 15 प्रस्ताव पास किए। पहली कोल्हापुर में और 1936 में दूसरी महार परिषद बाम्बे में बुलाकर घोषित किया कि मैं महार जाति में पैदा तो हो गया हूँ, ये मेरे वश की बात नहीं थी, लेकिन महार रहते हुए मरूँगा नहीं, ये मेरे वश में है। लेकिन जिन्होंने 'महार की' का अंत करने के लिए कुछ भी नहीं किया वो लोग आज मेरे साथ चलने वाले लोगों को कहते हैं, हमारे बॉम्बे के अध्यक्ष हैं। विलास गरुड को कहते हैं कि तू तो महार बन गया है, "अपुन तो बुद्धिस्ट झाले, अपन कुछ किए कराए बगैर बुद्धिस्ट झाले, तू महार बन गया है," ऐसा मुझे गरुड़ से पता चला। मुझे और भी बहुतप लोगों ने कहा है कि खासकर के विदर्भ में लोगों को अच्छा नहीं लगता है, मैं इसलिए सोचता और कहता हूँ कि कहीं और जगह नहीं तो कम से कम विदर्भ वालों को शर्म आनी चाहिए और उसमें से भी खासकर नागपुर वालों को शर्म आनी चाहिए, जहाँ 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉ. आंबेडकर ने महार का अंत किया। 2006 में हम "धम्म चक्र प्रवर्तन" की स्वर्ण जयन्ती मनाने की तैयार कर रहे हैं, जात-पांत का अंत करने के लिए हम गोल्डन जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ चार साल बाकी हैं, ये कहने के लिए बाबा साहब जो आपने हमें 70 सलाह दी थी, 70 साल तक हमने नहीं मानी, हम वोट का इस्तेमाल करके इस देश की शासनकर्ता जमात बन सकते हैं, 70 साल तक हमने नहीं मानी, लेकिन आज हम आपकी सलाह को मानकर इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। आज हम लोग उस बात को भी मान

चुके हैं, इसलिए आहिस्ता-आहिस्ता करके हम आपकी सारी बातों को मानकर जो इस देश में परिवर्तन आप चाहते थे उस परिवर्तन की लड़ाई में काफी आगे बढ़ चुके हैं ये बात ठीक है कि हम अब तक काफी नलायक रहे हैं और नालायकी के कारण हमें इस काम में बहुत देर लगी है और हो सकता है कि हम महाराष्ट्र में भी जो महार का सर्टीफिकेट लेकर महार घूम रहे हैं, उस सर्टीफिकेट की भी उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जल्दी से जल्दी आरक्षण लेने वाले नहीं आरक्षण देने वाले बन जाएंगे। फुले-शाहू-आंबेडकर, इन तीनों महापुरुषों का संघर्ष हम पूरी तरह से अमल में लाएंगे, इसलिए 2001 की जनगणना तो हो चुकी है, लेकिन 2011 की जनगणना बताएगी कि आपके सपनों को साकार करने के लिए वह काफी आगे बढ़ चुके हैं।

आपने आगे कहा कि इसलिए साथियों, आरक्षण के बारे में छत्रपति शाहू जी महाराज ने 100 साल पहले जो शुरू किया था, वो आहिस्ता-आहिस्ता 100 साल के अन्दर मूवमेन्ट बन गया। पहले शेड्यूल्ड कास्ट/शेड्यूल्ड ट्राईब, 1935 में, फिर 1950 में बाबा साहब डॉ. आंबेडकर ने कोशिश की, कि ओ.बी.सी. (अन्य पिछड़े वर्ग) को भी वह अधिकार मिल जाएं, जो शेड्यूल्ड कास्ट/शेड्यूल्ड ट्राईब को मिले हैं। लेकिन बहुत लम्बे अरसे तक वह अधिकार नहीं मिले। ओ.बी.सी. के लोग बहुत पीछे रह गए। फिर हम लोगों ने अधिकार मिलने से पहले शेड्यूल्ड कास्ट/शेड्यूल्ड ट्राईब और ओ.बी.सी मिलाकर जाति के आधार पर तोड़े गए लोगों को जोड़कर हम लोगों ने बहुजन समाज बनाया, बहुजन समाज बनाने की 1984 में हमने शुरुआत की, आहिस्ता-आहिस्ता बहुजन समाज बन गया। हमारा वोट बैंक बढ़ता गया। जो 1935 में बाबा साहब डॉ. आंबेडकर ने हमें सलाह दी थी कि आप लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करके इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। देर लग गई, इसके लिए हम शर्मिन्दा हैं। लेकिन हम लोगों ने देर के बावजूद कोशिश जारी रखी और 21 वीं सदी के अंत होने से पहले हम दिखा देंगे कि जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को जोड़कर हम लोग इस देश के हुक्मरान बन चुके हैं। आप (बाबा साहेब) जो चाहते हैं, आपने 1936 में जो किताब लिखी है जात-पांत का बीजनाश आज तक हम जाति का नाश नहीं कर पाएं हैं, लेकिन जो 1936 में आपने इच्छा जाहिर की थी, तो 2036 तक हम आपकी वो इच्छा अवश्य पूरी कर पाएंगे। 2036 तक हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि महार जो हैं, वो 20वी सदी के अंत में आकर दम तोड़ गए हैं। मनुवादी सरकार ने उनको मजबूर किया है कि अगर आप लोगों को सहूलियतें चाहिए तो आपको लिखना होगा कि कौन सी जाति से आप लोग बौद्ध बने हैं। इसलिए उनको फिर से

बौद्ध बनाने के लिए हम कोशि करेंगे, ताकि 2036 तक हम कामयाब हो जाएं, क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि ये जाति से पीछा छुडाएं, कास्ट का एन्नीहिलेशन करे, लेकिन कब तक ये जाति से पीछा छुड़ा पाएंगे?क्योंकि अगर महार ने भी पीछा छुड़ा लिया तो भी जातियां तो 6,000 से ज्यादा हैं, कोई ना कोई पकड़ लेगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी, क्योंकि 1936 में आपने (बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर) ने लिखा है—''जात-पात का बीजनाश'', तो वो हम 100 साल के अन्दर पूरा करेंगे, फिर हम उसकी भी शताब्दी मनाएंगे। आज अगर हम आरक्षण का शताब्दी वर्ष महोत्सव मना रहे हैं तो 2036 में तो जात-पांत का बीजनाश का शताब्दी वर्ष महोत्सव मनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज जब हम आरक्षण का शताब्दी वर्ष महोत्सव मना रहे हैं, कुछ काम तो हमारे बुजुर्गों ने किया है, कुछ काम हमारे दुश्मनों को करना पड़ा है। आरक्षण के मामले में 1950 के बाद अगर ओ.बी.सी के लिए रो-रोकर इन्होंने आरक्षण दिया है। लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट/शेड्यूल्ड ट्राईब के बारे में इनकी (मनुवादी हुक्मरान) मजबूरी के कारण इनको आरक्षण देना पड़ा है। शेड्यूल्ड कास्ट/शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में आरक्षण की मूवमेन्ट आगे बढ़ती गयी।

मान्य. कांशीराम जी ने आगे कहा कि नेहरू पहला ब्राह्मण प्रधानमंत्री था, जो 1947 में हुक्मरान बना, वो लगभग 20 साल तक हुक्मरान रहा। उसने हमारी बात को आगे नहीं बढ़ने दिया। बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने पृथक निर्वाचन के बाद पृथक बसावट की बात के लिए अंग्रेजों को मना लिया था, जुलाई 1945 में इसी नागपुर की धरती पर बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने घोषणा की थी कि मैंने अंग्रेजों को मना लिया है कि जो 55 करोड़ हेक्टेयर जमीन सरकार के पास खाली है और हमारे पास करोड़ों लोग बगैर जमीन के हैं, वो दूसरों के खेतों में खेती करते हैं, अंग्रेजों ने मान लिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा तो हम आपके इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने में लग जाऐं और 20 साल के अन्दर-अन्दर आप लोगों को, जो दूसरों के खेतों में खेती करने के लिए मजबूर हैं, उनकी मजबूरी का अंत कर देंगे, लेकिन दुनिया के हालात बदले और अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा। 1947 में अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए जो बात वो 20 साल के अन्दर पूरा करन चाहते थे, वो बात शुरू ही नहीं हुई, वो उसके बीच में ही देश छोड़कर चले गए, जब वो बात शुरू नहीं हुई तो बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने नए हुक्मरानों (आजादी के बाद बने मनुवादी हुक्मरान) से कहा, जवाहरलाल नेहरू से कहा कि अंग्रेजों ने हमारे साथ यह वायदा किया था, वो चले गए, अब आप नए हुक्मरान बने हैं, तो

उनका कहना है कि ये गलती हमें नहीं करना है, अगर हमने बेजमीन लोगों को जमीन दे दी तो हमारे खेतों में खेती कौन करेगा?नेहरू ने बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर को कहा कि ये काम मैं नहीं कर सकता। बाबा साहेब दुखी हुए, दुखी होकर उन्होंने 18 मार्च 1956 को आगरा में लाखों लोगों को इकट्ठा करके बताया कि भाई अंग्रेजों को तो मैंने रजामंद कर लिया था, लेकिन आज का हुक्मरान नहीं कहता है, तो हमें क्या करना होगा?ये तो हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए मैं लाठी लेकर आगे-आगे चलूंगा, आप मेरे पीछे-पीछे चलना, हम अपनी जरूरत को पूरा करेंगे। 6 दिसम्बर 1956 को बाबा साहेब चल बसे। ना बाबा रहे और न बाबा की लाठी रही। इसलिए वो काम आज तक पूरा नही हुआ है, वो अधूरा है, उसे अधूरे काम को कौन पूरा करेगा? जिसकी जरूरत है, वही पूरा करेगा। उसके लिए भी बाबा हमें बता गए हैं कि जरूरत है, ये जिनकी जरूरत भी उनको ही पूरी करनी होगी।

आपने आगे कहा कि हमारे लोग जो हजारों साल से जावनर से बदतर जिंदगी व्यतीत करते रहे, वो आज भी कर रहे हैं, आज क्या है?आज वो कैसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं? वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए, आज देहात छोड़कर शहरों में आ बसे हैं, भूखे मरते हुए लोग भूख से बचने के लिए शहरों में आ रहे हैं, सरकार आमतौर पर पांच साले में बदलती हैं। कभी-कभी जब हम लोग छोटे दांत दिखाने लायक हो गए तो साल-साल में सरकारें बदलती रही, लेकिन समय बीतता गया। आज हम लोग आरक्षण की शताब्दी मना रहे हैं। आरक्षण शुरू हुए 100 साल से ज्यादा समय बीत गया। आज हम शताब्दी वर्ष महोत्सव मना रहे हैं। 26 जुलाई 2002 को हमने कोल्हापुर से छत्रपति शाहू जी महाराज की राजधानी से, जहां से हमने शुरू किया है, उसी जगह 25 जुलाई 2003 में ये शताब्दी वर्ष महोत्सव का समापन समारोह होगा। देश के कोने-कोने में साल भर के लिए हम ये शताब्दी वर्ष मनाते रहेंगे। जिन लोगों को इससे लाभ पहुंचा है, उन लोगों में बहुत लोगों को आज भी मालूम नहीं है कि ये बात (जो बात 26 जुलाई 1902 को शुरू हुई) कहाँ से शुरू हुई? कैसे शुरू हुई? किसने शुरू की? क्यों शुरू की?किस तरह से शुरू हुई? और ये बढ़ते-बढ़ते ये 100 साल में एक मूवमेन्ट कैसे बन गयी?इसलिए इस मूवमेन्ट के बारे में लाभान्वित लोगों को बताना हमने जरूरी समझा, नागपुर में भी लाभान्वित हैं।

आरक्षण के आधार पर पढ़ाई-लिखाई और छोटी-बड़ी सरकारी नौकरियां प्राप्त कर लाभान्वित हुए अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए मान्य.

कांशीराम जी ने कहा कि इस तरह 1996 तक ये मूवमेन्ट बनती गयी और बढ़ती गई। 1997 में पहली बार न्यायालय ;श्रनकपबपंतलद्ध इस्तेमाल करके, नयायल को बता ककरे, ये जो राजनीतिज्ञ हैं, इनको वोट के लिए लोगों के पास जाना पड़ता है, लेकिन आपको तो नहीं जाना पड़ता, इसलिए इस आरक्षण का अंत करो, 1996 तक बात बढ़ती गयी। 1997 और 1998 उसके बाद अभी 2002 है, ये बात घटती गयी और बी.जे.पी. की सरकार बनी तो, बी.जे.पी. ने सोचा–''ना होगा बास, ना बजेगी बांसुरी'', कि आरक्षण का कोटा तो तब पूरा होगा जब सरकारी नौकरियां रहेंगी बी.जे. पी. ने नौकरियाँ ही बन्द कर दी। चलो, आरक्षण का कोटा बंद हो गया। इसलिए हमने भी अपना लक्ष्य बनाया कि आरक्षण लेना नहीं, देना है, उत्तर प्रदेश से हमने शुरू किया है और देश भर में भी आरक्षण लेने का नहीं, देने का सिलसिला शुरू होगा। आज उत्तर प्रदेश में 23% उच्च वर्ग के लोगों को हमने राजनीति में आरक्षण दिया है। उनकी आबादी को गिनके 7 ब्राह्मण, 14 ठाकुर, 1 भूमिहर और एक बनिया 23% उनकी आबादी हैं और 23% उनके विधायक हैं। इस तरह से उनको 23% आरक्षण दे दिया है। उत्तर प्रदेश में तो उनकी आबादी ज्यादा हैं, इसलिए यमुना-गंगा धरती को वह ''आर्यावत'' बोला करते थे, ''आर्यावत'' आर्यों का देश, हम हमने उनको कहा कि भाई ये आर्यावत नहीं, ये ''चमारवर्त'' (बहुजनवर्त) है। हमें मालूम हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी आबादी ज्यादा है। लेकिन पूरे देश से कम है, इतनी ज्यादा उच्च वर्ग की आबादी अगर उत्तर प्रदेश में 23% है तो सारे देश में 15% से कम हैं, 15% तो ग्रेस मार्क (रियायती नम्बर) देकर है।

आपने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार रहीं, बहुत हल्ला-गुल्ला किया, कि एक तिहाई (33%) आरक्षण महिलाओं के लिए होना चाहिए, एक तिहाई आरक्षण होगा तो पार्लियामेंट में 183 सीटें उनकी महिलाओं की होगी तो लालू, मुलायम, मायावती, ये तीनों बोल उठे की नहीं भई 183 सीटें ये आप लोग अपने लिए रिर्जव (आरक्षित) क्यों कर रहें हो?बड़ी मुश्किल से हमने आप को कम किया हैं, अब यकायक ज्यादा बढ़ा रहे हो, तो इसलिए अभी तक उसको रोक कर रखा है। इस तरह साथियों आरक्षण का यह मामला है। आरक्षण लेने वाले लोग आरक्षण देने वाले बन रहे हैं। भाजपा की सरकार आयी, उन्होंने रास्ता ढूंढा कि जात-पांत का बीजनाश नहीं होना चाहिए, उन्होंने आप लोगों के सामने यह शर्त दिखाई कि अगर सहूलियतें चाहिये तो आप लोगों को फिर से महार बनना होगा। बोलने के लिए आप कुछ भी बोलते रहे, लेकिन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसलिए में समझता हूँ कि बाबा साहब डॉ. आंबेडकर ने जो

बौद्ध धर्म अखित्यार किया है और कोई भी लक्ष्य हो लेकिन जात-पांत का बीज नाश करने के लिए ही उनका बड़ा लक्ष्य था। इसलिए जब आप लोगों ने फिर से महार का सर्टिफिकेट लेना शुरू कर दिया है। महार भी एक जात हैं और इस देश में तो 6,000 जातियाँ हैं। आपको देखकर दूसरी जातियाँ शुरू कर देंगी और 6,000 से भी अधिक जातियों को मनाने का काम, इसमें समय तो लगेगा। लेकिन ये लक्ष्य भी हमें 2036 तक पूरा करना है बाबा साहब ने 1936 में हमारे सामने जात-पांत का बीजनाश का लक्ष्य भी अगर हमारे सामने रखा है तो 2036 तक इसको भी हमें ही पूरा करना होगा।

जय भीम! जय भारत, जय फुले, जय शाहू।

●●●

कांशीराम

कांशीराम (15 मार्च 1934 - 9 अक्टूबर 2006) आधुनिक भारत के क्रांतिकारी नेताओं में अन्यतम हैं। दलितों तथा बहुजन समाज के अन्य सदस्यों को सामाजिक तथा राजनीतिक स्तर पर संगठित करने में उनकी भूमिका अन्यतम है। उनका जन्म पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। उन पर बचपन से ही डॉ. आंबेडकर की विचारधारा का प्रभाव था। कांशीराम जब सरकारी नौकरी करने पुणे गए, तो उन्होंने महसूस किया कि दलित वर्ग के कर्मचारियों के साथ बहुत भेदभाव बरता जाता है। इससे वे बेहद विचलित हुए। 1964 में सरकारी नौकरी छोड़ कर कांशीराम ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। बामसेफ और डीएस-4 का सफल नेतृत्व करने के बाद उन्होंने डॉ. आंबेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। दलित और बहुजन राजनीति को सफलता के शिखर तक पहुँचाने में माननीय कांशीराम का योगदान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।